

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, मा०प्र०से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 08.10.23

विषय-

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना अंतर्गत समेकित मत्स्य पालन योजना का कुल मो० 199.0483 लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख चार हजार आठ सौ तीस) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना अन्तर्गत समेकित मत्स्य पालन योजना (मछली-सह-बत्तख पालन) की कुल मो० 199.0483 लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख चार हजार आठ सौ तीस) रुपये मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु मो० 200.00 लाख (दो करोड़) रुपये का योजना उद्व्यय निर्धारित है तथा इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3- योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० 199.0483 लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख चार हजार आठ सौ तीस) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)  
मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन

(राशि लाख रु० में)				
क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-उप शीर्ष-67-समेकित मत्स्य पालन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री <b>53-S-2405-00-101-67-01-0323</b>	80.00	79.4353	0.5647
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-67-समेकित मत्स्य पालन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री <b>53-S-2405-00-789-67-01-0323</b>	35.00	34.9638	0.0362
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-67-समेकित मत्स्य पालन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री <b>53-S-2405-00-796-67-01-0323</b>	85.00	84.6492	0.3508
कुल योग :		200.00	199.0483	0.9517

मो० 199.0483 लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख चार हजार आठ सौ तीस) मात्र।

अबुबक्कर सिद्दीख

4. राज्य के मत्स्य पालकों को समेकित मत्स्य पालन की ओर उन्मुख करने तथा उनकी आय में बढ़ोत्तरी हेतु निजी क्षेत्र के लिए इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।

i. इस योजना में लाभुकों के द्वारा मछली-सह-बत्तख पालन (2 Components) किया जाएगा।

ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना अन्तर्गत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न बैठक में एक कॉम्पोनेन्ट के रूप में मछली-सह-बत्तख पालन की स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही माननीय योजना-सह-वित्त मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 - 35/21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा निर्गत है।

5. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी समान इकाई लागत दर (मो0 1,53,350/-रु0) प्रति 0.4 हेक्टर जलक्षेत्र (तालाब) लागू होगी। Duck House लाभुक द्वारा स्थानीय स्तर पर बनाया जायेगा।

(ख) इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,22,680/-रु0) होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,07,345/-रु0) होगा, शेष सभी राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इसी प्रकार 0.2 हेक्टेयर पर मछली-सह-बत्तख पालन के लिए राज्य सरकार के अंशदान की राशि समानुपातिक रूप से होगी।

6. प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े जलक्षेत्र के तालाबों को दी जाएगी किन्तु एक स्थल/लाभुक पर एक यूनिट (160 ducklings) ही स्वीकृत किया जायेगा।

RFF के लिए भी प्रति स्थल अधिकतम दो इकाई (Two units) की परियोजना होगी। लाभुक का अंशदान वहाँ कार्यरत लाभुक समूह/मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

7. समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में लाभुकों का चयन जिला स्तर पर "सुरक्षित जमा निर्धारण समिति" द्वारा किया जायेगा जिसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी (पशु चिकित्सक) विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

8. लाभुकों का चयन निम्न बिन्दुओं/अहर्ताओं पर किया जायेगा -

(क) योजना कार्यान्वयन का प्रस्तावित स्थल आबादी के नजदीक हो।

(ख) लाभुक का अपना तालाब (प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े तालाब) हो अथवा वित्तीय वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए लीज पर हो।

(ग) जिला मुख्यालय के नजदीक के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अनुश्रवण आदि में सुविधा हो।

(घ) RFF के पास के लाभुकों के चयन में ध्यान रखा जाएगा कि RFF का लाभुक समूह सक्रिय हो तथा उनका बैंक खाता संचालित हो रहा हो।

(ङ) लाभुकों का cluster बनाकर योजना का कार्यान्वयन किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(च) वैसे योग्य लाभुक जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में सक्षम स्तर से चयनित हुए हैं तथा कार्य किये जाने एवं विपन्न कोषागार में भेजे जाने के उपरांत भी अनुदान की राशि की कतिपय कारणों से निकासी संभव नहीं हो सकी, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा।

9.(क) समेकित मत्स्य पालन योजना का जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक लक्ष्य (यूनिट में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) परिशिष्ट 'I' के रूप में संलग्न है।

(ख) मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 668 दिनांक 01.06.2021 एवं पत्रांक 691 दिनांक 09.06.2021 द्वारा 0.4 हे0 अर्थात् एक यूनिट समेकित मत्स्य पालन हेतु इसके विभिन्न अवयव संबंधित अधीनस्थ स्थापनाओं को संसूचित हैं।

10. योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा। निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से औचक निरीक्षण कराया जाएगा।

11. सरकार का अनुदान तीन किस्तों में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक को डी0 बी0 टी0 के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। अनुदान की प्रथम किस्त तथा लाभुक के अंशदान से बत्तख-घर (Duck-House) का निर्माण, Starter feed/ medicines तथा Ducklings क्रय किये जायेंगे। उक्त कार्य होने पर द्वितीय किस्त तथा दो माह तक Ducks के जीवित रहने के उपरान्त तृतीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।

क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्हीं कार्यों में किया जाय।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य-कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी होंगे, जो परिशिष्ट 'I' के रूप में जिलावार/स्थापनावार अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे।

14. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

15. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

16. वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो0 100.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 91.06 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

सुपाम

राजा

62

18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं०-सी०एस०-२/आर०-०१-२००५-३०१ दिनांक ११ मार्च, २०१५ के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
19. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
21. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
22. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ०४२०(वि०)मत्स्य / राँची, दिनांक ०८/०५/२३

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ०४२०(वि०)मत्स्य / राँची, दिनांक ०८/०५/२३

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त तथा सभी अपर समाहर्ता (अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ०४२०(वि०)मत्स्य / राँची, दिनांक ०८/०५/२३

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

३/१/२३

परिशिष्ट '1'  
 वित्तीय वर्ष 2023-24 में गाँव संख्या-53-कृ. वि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-67-समीकित मत्स्य पालन योजना-विरूप शीर्ष-03-प्रशासनिक  
 खय-23-आपूर्ति एवं सामग्री अन्तर्गत स्थापनावार मौलिक (यूनिट में) एवं वित्तीय (लाख ₹0 में) लेखा

क्रम0	स्थापना का नाम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन				लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				कुल			
		मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	शैवी	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	6	7.3608	1	1.0735	7	8.4343	9	10.8879
2	खूँटी	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	1	1.0735	3	3.5271	3	3.5271
3	जुमला	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	4	4.9072	7	8.5876	4	4.2938	11	12.8814	15	17.7886
4	सिमडेगा	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	4	4.9072	2	2.1469	6	7.0541	7	8.2809
5	लोहरदंगा	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	2	2.4536	2	1.0735	8	9.5077	10	11.9613
6	प0 सिहपुन	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	6	7.3608	1	1.0735	4	4.7539	4	4.7539
7	पूर्वा सिहपुन	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	6.1340	2	2.1469	7	8.2809	8	9.5077
8	सरायकोला	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	3	3.6804	1	1.0735	4	4.7539	4	4.7539
9	लातेहार	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	0	0.0000	2	2.4536	2	2.4536
10	जामताड़ा	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	6.1340	2	2.1469	7	8.2809	8	9.5077
11	पाकुड़	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	2	2.4536	0	0.0000	2	2.4536	2	2.4536
12	दुमका	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	6.5	7.9742	3	3.2204	9.50	11.1946	9.50	11.1946
13	साहेबगंज	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	हजारीबाग	2	2.4536	6	6.4407	8	8.8943	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	रामनाद	2	2.4536	3	3.2204	5	5.6740	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	कोडरमा	1	1.2268	1	1.0735	2	2.3003	1.5	1.8402	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	बोकारो	2	2.4536	6	6.4407	8	8.8943	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	धनबाद	2	2.4536	3	3.2204	5	5.6740	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	गिरिडीह	2	2.4536	4	4.2938	6	6.7474	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	देवघर	2	2.4536	13	13.9549	15	16.4085	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	चतरा	2	2.4536	2	2.1469	4	4.6005	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	गोड्डा	3	3.6804	4	4.2938	7	7.9742	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
23	पलामू	2	2.4536	5	5.3673	7	7.8209	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
24	पाड़वा	1	1.2268	3	3.2204	4	4.4472	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
	कुल	21	25.7628	50	53.6725	71	79.4353	28.50	34.9638	51.50	63.1802	20	21.4690	71.50	84.6492	171.00	199.0483

(माँ0 एक करोड़ चिन्मानवे लाख चार हजार आठ सौ तीस ₹0 मात्र)

(अनुबन्धकर सिद्धीच धी0)  
 सरकार के सचिव

3/1/2024  
 A.P.P.

नोट - कर्जागत राशि को आदान नहीं माना जाय।